टी बोर्ड ★ भारत
(भारत सरकार के अधीन, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
14, बी. टी. एम. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता - 700 001,
दूरभाष : 033 2235-1331, वेबसाइट : www.teaboard.gov.in

TEA BOARD ★ INDIA
(Under Govt. of India, Deptt. of Commerce
Ministry of Commerce & Industry)
14, B.T.M. Sarani, (Brabourne Road) Kolkata - 700 001
Tel. : 033 2235-1331, Website : www.teaboard.gov.in

संदर्भ. सं: 12(17)/एलसी/2008/पार्ट-III/213 दिनांक 12/09/2022

आदेश

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 13(3) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, सभी चाय निर्माताओं द्वारा अनिवार्य अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।

क्र.सं.	विवरण	दार्जिलिंग हिल्स, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सभी ऊंचाई पर स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि	पश्चिम बंगाल और बिहार के डूआर्स और तराई क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए कार्यान्वयन की तिथि
i.	सभी चाय कारखानों के लिए हरी पत्ती प्राप्त करने की अंतिम तिथि।	**3rd दिसम्बर 2022**	**17th दिसम्बर 2022**
ii.	सभी इकाइयों के लिए कारखाने में हरी पत्ती के प्रसंस्करण की अंतिम तिथि	**5th दिसम्बर 2022**	**20th दिसम्बर 2022**
iii.	सभी चाय निर्माण इकाइयों द्वारा अपने विनिर्माण को बंद करने के संबंध में टी बोर्ड को सूचना/घोषणा की अंतिम तिथि।	**6th दिसम्बर 2022**	**21st दिसम्बर 2022**
iv.	सॉर्टिंग, गैपिंग, पैकिंग (सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स/ग्रीन टी) को पूरा करने और पैक्ड टी को इनवॉइस मार्किंग के साथ अधिसूचित पैक्ड टी स्टोरेज एरिया में ले जाने की अंतिम तिथि।	**16th दिसम्बर 2022**	***31st दिसम्बर 2022*** *(सीटीसी विनिर्माण हेतु)* **5th** जनवरी **2023** **(***अर्थोडॉक्स / हरी चाय विनिर्माण हेतु)*

1. निर्देश का पालन करने में विफलता की स्थिति में, बोर्ड द्वारा चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के खंड 5(1)(डी) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2. यह आदेश बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर जारी किया गया है और दिनांक 26.09.2018 को आयोजित 237वीं बोर्ड बैठक में इसकी पुष्टि की गई है।

Sd/-
उपाध्यक्ष, टी बोर्ड व पंजीकरण प्राधिकारी

वितरण:

1. संबंधित क्षेत्र के सभी चाय उत्पादक संघ।
2. संबंधित क्षेत्र के सभी बॉट लीफ चाय उत्पादक संघ।
3. संबंधित क्षेत्र के सभी लघु चाय उत्पादक संघ।
4. संबंधित क्षेत्र में स्थित टी बोर्ड के सभी क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय - सभी चाय निर्माताओं, चाय संघों, जिला हरी पत्ती मूल्य निगरानी समिति के बीच संचलन और आदेश के अनुपालन की आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए।